न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 47/2018

दायर तारीख :– 27-07-2018

1. पुष्पा देवी पत्नि महेन्द्र सिंह यादव जाति अहीर निवासी रूपपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0।

— वादिया

बनाम

1. छगन कंवर पत्नि कबूल सिंह
2. अनुप सिंह
3. पर्वता सिंह
4. नाहर सिंह
5. दशरथ सिंह पुत्र मोती सिंह

(2 से 4 – पुत्रान कबुल सिंह; 1 से 5 – समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी कबुल सिंह की, तलियारा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।)

6. भंवरी देवी पत्नि सूरजमल यादव जाति अहीर निवासी तलियारा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. प्रबंधक JSBVB शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादिया
श्री सुरेश कुमार रैगर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 15-7-21

1. वादिया ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम तलियारा के खसरा नम्बर 2068/0.14, 2073/0.01, 2074/0.03, 2075/2.79 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर भूमि वादिया ने जरिये विक्रय पत्र भंवर सिंह वगैरह से खरीद की थी। पूर्व खातेदार ने वादिया को स्वंय द्वारा काबिज काश्त भूमि का कब्जा खसरा नंबर 2075 के दक्षिणी–पूर्वी भाग में कब्जा सम्भलाया था, जिसमें वादिया का हिस्सा 47/297 दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि पूर्व खातेदार से प्राप्त बाहमी बंटवारे की भूमि पर वादिया बदस्तूर काश्त करती चली आ रही है। वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। काश्त की सहूलियत के लिए सभी खातेदारों ने हिस्सेनुसार उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी में सिंचाई हेतू वादिया ने स्वयं के खर्चे से दो बोरिंग बना रखी है, जिनमें वादिया के नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है, जिनसे वादिया सिंचाई कर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। यह है कि वादिया एवं प्रतिवादीगण आपसी मनबट से किए गए बंटवारे के

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादिया ने अपने हिस्से की भूमि में काफी पैसा खर्च करके काबिज काश्त बनाई है, परन्तु विवादित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं। प्रतिवादीगण, वादिया को खेत से बाहर निकलने के लिए कहने लगे। तथा प्रतिवादीगण, वादिया को खुद की जमीन में शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देने तथा आराजी से जबरन बेखल करने की एलानिया धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी को अमल लाते हुए वादिया को उसके हिस्से की भूमि से काश्त करने से रोकने में सफल हो जाते है तो वादिया को अकथनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम तलियारा के खसरा नम्बर 2068/0.14, 2073/0.01, 2074/0.03, 2075/2.79 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर का बंटवारा कर वादिया को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया को बंटवारे में प्राप्त उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग करने देवे, किसी तरह की बेजादखल या मजामहत कारित नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम तलियारा खाता संख्या 43 संवत् 2073–2076, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम तलियारा, असल विद्युत कनेक्शन बिल आदि पेश किए गये।
4. पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 18.02.2021 को बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम तलियारा के खसरा नम्बर 2068/0.14, 2073/0.01, 2074/0.03, 2075/2.79 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर की खातेदारी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

है। वादिया एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादिया के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादिया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिया का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	अनुप सिंह पुत्र कबुल सिंह हिस्सा 3750/18750 जाति राजूपत सा देह राहिन JJSBVB शाखा शाहपुरा पर्वत सिंह पुत्र कबुल सिंह हिस्सा 3750/18750 जाति राजूपत सा देह राहिन JJSBVB शाखा शाहपुरा नाहर सिंह पुत्र कबूल सिंह हिस्सा 3750/18750 जाति राजूपत सा देह खातेदार छगन कंवर पत्नि कबुल सिंह हिस्सा 5150/18750 जाति राजपूत सा देह खातेदार दशरथ सिंह पुत्र मोती सिंह हिस्सा 2350/18750 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	2068/0.14, 2073/0.01, 2074/0.03, 2075/1.6950 हैक्टेयर
2	भवंरी देवी पत्नि सूरजमल जाति अहीर सा. देह खातेदार	2075/1/0.6250 हैक्टेयर
3	पुष्पा देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाति अहीर सा. रूपपुरा खातेदार	2075/2/0.47 हैक्टेयर

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 15.7.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर(जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. पुष्पा देवी पत्नि महेन्द्र सिंह यादव जाति अहीर निवासी रूपपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0।

— वादिया

बनाम

1. छगन कंवर पत्नि कबूल सिंह
2. अनुप सिंह
3. पर्वता सिंह
4. नाहर सिंह

(क्र. 2 से 4) पुत्रान कबुल सिंह

5. दशरथ सिंह पुत्र मोती सिंह

(क्र. 1 से 5) समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी कबुल सिंह की, तलियारा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

6. भंवरी देवी पत्नि सूरजमल यादव जाति अहीर निवासी तलियारा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. प्रबधंक JSBVB शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 47/2018 **दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादिया** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री सुरेश कुमार रैगर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम तलियारा के खसरा नम्बर 2068/0.14, 2073/0.01, 2074/0.03, 2075/2.79 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर का बंटवारा कर वादिया को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। सोथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया को बंटवारे में प्राप्त उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग करने देवे, किसी तरह की बेजादखल या मजामहत कारित नहीं करें।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	अनुप सिंह पुत्र कबुल सिंह हिस्सा 3750/18750 जाति राजूपत सा देह राहिन JJSBVB शाखा शाहपुरा	2068/0.14, 2073/0.01, 2074/0.03, 2075/1.6950

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	पर्वत सिंह पुत्र कबुल सिंह हिस्सा 3750/18750 जाति राजूपत सा देह राहिन JJSBVB शाखा शाहपुरा नाहर सिंह पुत्र कबूल सिंह हिस्सा 3750/18750 जाति राजूपत सा देह खातेदार छगन कंवर पत्नि कबुल सिंह हिस्सा 5150/18750 जाति राजपूत सा देह खातेदार दशरथ सिंह पुत्र मोती सिंह हिस्सा 2350/18750 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	हैक्टेयर
2	भवंरी देवी पत्नि सूरजमल जाति अहीर सा. देह खातेदार	2075/1/0.6250 हैक्टेयर
3	पुष्पा देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाति अहीर सा. रूपपुरा खातेदार	2075/2/0.47 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 15.7.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुवलिक ....शून्य.............................. बावत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख वसूलयावी तक ....शून्य..... का अदा करें। सव मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** ...15-7-8... को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रुपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सवूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर ववत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर ववत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)